

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू

(पीठासीन अधिकारी :- हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)

मा नं. : 233 / 2022

बीरबल बनाम अमीलाल वगै०

की ओर से एडवोकेट राजेश पूनिया की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 15.05.2025 को हवाई यादव उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री जाती है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम समसपुर तहसील झुन्झुनू में स्थित भूमि खसरा नं. 425 रकबा 0.05 हेक्टर, खसरा नं. 426 रकबा 0.01 है०, खसरा नं. 427 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नं. 428 रकबा 3.49 है०, खसरा नं. 429 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नं. 430 रकबा 2.28 है०, खसरा नं. 431 रकबा 0.07 है०, खसरा नं. 432 रकबा 0.07 हेक्टर, खसरा नं. 439 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नं. 440 रकबा 2.96 है०, खसरा नं. 445 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नं. 446 रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नं. 477 रकबा 0.05 हेक्टर, खसरा नं. 613 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नं. 635 रकबा 2.67 हेक्टर कुल किता 15 का कुल रकबा 11.80 है० कृषि भू भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें।

डिक्री आज दिनांक 15.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।



(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू
15/05/25

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील	मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान	खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर	
बाबत इजराय हुकमनामा	बाबत इजराय हुकमनामा	
	मुतफरिक	
योग	योग	

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू
15/05/25